न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा (झुन्झुनूं)

पीठासीन अधिकारीः—वृजेश कुमार, RAS
प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र संख्या 25/2023

1. महिपाल पुत्र श्यामलाल,
जाति जाट, निवासी चरणसिंह नगर, खाखला की ढ़ाणी, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं (राज0)।

—— प्रार्थी

बनाम

1. प्रहलाद सिंह पुत्र श्यामलाल
2. फूलचन्द पुत्र श्यामलाल
3. राजेन्द पुत्र श्यामलाल
4. रामसिंह पुत्र श्यामलाल
समस्त जाति जाट, निवासी चरणसिंह नगर, खाखला की ढ़ाणी, तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनूं (राज0)
5. उप पंजियक अधिकारी, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूँ (राज०)।
6. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूँ (राज०)।

——अप्रार्थीगण

उपस्थितः—

1. श्री अनिल मान— अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री गोरधन — अधिवक्ता अप्रार्थीगण 1 ता 4

निर्णय

दिनांकः—29.01.2024

1. अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष वाद बाबत खाता विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा के साथ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय को पेश किया है कि ग्राम चनाना के भूमि खसरा नम्बर 1445/189 रकबा 0.38 हैक्टेयर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 4 की क्रयशुदा शामिल में स्थित है। वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थी व अप्रार्थीगण का प्रत्येक का हिस्सा 1/5 है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने क्रय के रोज से ही मौखिक बाहमी बंटवारा कर रखा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 4 ने नजरी नक्शा अनुसार उत्तर दिशा में प्रहलाद सिंह मार्क ए. दक्षिण में फूलचन्द, उसके दक्षिण में प्रार्थी महिपाल, के दक्षिण में राजेन्द्र, के दक्षिण में रामसिंह का हक व हिस्सा है तथा उसी के अनुसार काश्त एवं काबिज हैं। लेकिन वादग्रस्त आराजियात का विधिवत खाता विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स के नहीं हुआ है। जिसका बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विधिवत खाता विभाजन प्रार्थी करवाने का अधिकारी है। इसलिए वादग्रस्त आराजियात का विधिवत खाता विभाजन करवाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। प्रार्थी ने दिनांक 03.06.2023 को अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजिय का विधिवत खाता विभाजन करवाये जाने से इन्कार कर देने एवं जबरन पोल गाढकर, पत्थर डालकर नया निर्माण करने के रोज न्यायालय हाजा में पैदा हुआ। यदि उक्त अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की धारा संख्या 2 में वर्णित आराजियात ग्राम चनाना में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1445/189 रकबा 0.38 हैक्टेयर के वादी के 1/5 हक हिस्से में बिना विधिवत खाता विभाजन करवाये प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई बाधा कारित कर देते हैं या निर्माण कार्य कर देते हैं तो इससे प्रार्थी/वादी को भारी असहनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई मुद्रा में किया जाना सम्भव नहीं है। अतः तादौराने दावा अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे प्रार्थी/वादी के हिस्से की राजस्व ग्राम चनाना में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1445/189 रकबा 0.38 हैक्टेयर के वादी के 1/5 हक हिस्से में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदालखत ना करें व बिना विधिवत

खाता विभाजन करवाये किसी प्रकार का निर्माण कार्य इत्यादि ना करें एवं राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति तादौराने दावा बनाये रखें।

2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी को सुना जाकर आगामी आदेश तक अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी ख0न0 1145/189 रकबा 0.38 है0 मौजा ग्राम चनाना तहसील चिड़ावा के प्रार्थी के हक व हिस्से की भूमि के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वास्ते सुनवाई मय आदेश नोटिस विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी किये गये।

3. अप्रार्थी 1 लगायत 4 के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें रिकार्ड के अतिरिक्त प्रार्थना पत्र के अधिकांश बिन्दुओं को अस्वीकार किया गया। जवाब के मुख्य तथ्य रहे कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की कयशुदा नही होकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पिता की कय की गयी भूमि है। प्रार्थना पत्र में अंकित नजरी नक्शा व दिशाओं के अनुसार प्रार्थी ने अपना 1/5 हिस्सा गलत दर्शाया है वास्तविकता में प्रार्थी का 1/5 हिस्सा पश्चिम का है जिसका आपसी सहमति से रजिस्टर्ड डीड से विभाजन कर रखा है। विवादित भूमि का प्रार्थी व अप्रार्थी न० 1 से 4 के मध्य उनके पिता ने विभाजन कर दिया था जिसके अनुसार इस भूमि का पश्चिमी 1/5 हिस्सा प्रार्थी के हिस्से में आया व पूर्व की तरफ का 4/5 हिस्सा विपक्षी सख्या 1 से 4 के हिस्से में आया। और उसी विभाजन के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पिता ने अपनी उक्त खरीद शुदा भूमि का एक रजिस्टर्ड दान पत्र प्रार्थी व अप्रार्थी न0 1 से 4 के हक में दिनाक 02.06.2017 को कर दिया। जिस दान पत्र में स्पष्ट रुप से अंकित किया कि प्रार्थी का हिस्सा पश्चिम की तरफ है। इस दान पत्र का प्रार्थी ने स्वीकार किया व स्वीकृति के अपने हस्ताक्षर किये। प्रार्थी को जब विवादित भूमि में पश्चिमी 1/5 हिस्सा विभाजन के बाद ही प्राप्त हुआ है तो प्रार्थी को विभाजन हेतु कहने का या विभाजन कराने का अधिकार ही नहीं है इस कारण दिनाकं 03.06.2023 को विभाजन हेतु कहने की बात व अप्रार्थीगण द्वारा इन्कार करना झूठी कहानी है। अप्रार्थी न० 1 से 4 ने विवादित भूमि पूर्व की तरफ 4/5 हिस्सा दान पत्र दिनाकं 02.06.2017 द्वारा प्राप्त हुई। उसका भी अप्रार्थी नं0 1 से 4 ने अपना बंटवारा दिनाकं 05.09.2019 को जरिये रजिस्टर्ड डीड द्वारा कर लिया व अप्रार्थीगण 1 से 4 अपने अपने हिस्से पर काबिज मालिक व निर्माण आससदि करने के अधिकारी है। प्रार्थी को इस प्रार्थना पत्र के लिये कोई कारण वाद पैदा नही हुआ है। प्रार्थी ने केवल मात्र अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने के लिये झुठा प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टिया केस नही है सुविधा के सन्तुलन का बिन्दू भी प्रार्थी पक्ष में नहीं है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण न० 1 से 4 की कोई सामलाती भूमि नही है। प्रार्थी भूमि ख0न0 1445/189 के पश्चिमी 1/5 हिस्से पर काबिज मालिक है। व उसमें से कुछ भूमि पर निर्माण करके उसने उसमे से कुछ भूमि विक्रय भी कर दी है। इस प्रकार प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूर्णिय क्षति होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। अतिरिक्त कथन रहा कि जब भूमि पूर्व से ही विभाजित है तो विभाजन का वाद व यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है।

4. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ वादग्रस्त आराजी की जमाबन्दी व नक्शा पेश किया। अप्रार्थीगण ने जवाब के साथ मय दस्तावेज सूची विक्रय पत्र 12.07.2000, दान पत्र 02.06.2017, रजिस्टर्ड पारिवारिक बंटवारा दिनांक 05.09.2017 व खसरा नं0 194 में भूखण्ड का विक्रय पत्र दिनांक 15.02.2017 प्रस्तुत किये।

5. बहस उभय पक्ष सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि ग्राम चनाना में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1445/189 रकबा 0.38 हैक्टेयर के वादी के 1/5 हक हिस्से में बिना विधिवत खाता विभाजन करवाये प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई बाधा कारित कर देते हैं या निर्माण कार्य कर देते हैं तो इससे प्रार्थी/वादी को भारी असहनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई मुद्रा में किया जाना सम्भव नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर तादौराने दावा अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे प्रार्थी/वादी के हिस्से की राजस्व ग्राम चनाना में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1445/189 रकबा 0.38 हैक्टेयर के वादी के 1/5 हक हिस्से में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदालखत ना करें व बिना विधिवत खाता विभाजन करवाये किसी प्रकार का निर्माण कार्य इत्यादि ना करें एवं राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। बहस का जवाब देते हुये विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं कथन किया कि प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टिया केस नही है सुविधा के सन्तुलन का विन्दू भी प्रार्थी पक्ष में नहीं है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण न० 1 से 4 की कोई सामलाती भूमि नही है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य पूर्व से ही रजिस्टर्ड बंटवारेनामें से विभाजन हो चुका है। प्रार्थी भूमि

ख0न0 1445/189 के पश्चिमी 1/5 हिस्से पर काबिज मालिक है। व उसमें से कुछ भूमि पर निर्माण करके उसने उसमे से कुछ भूमि विक्रय भी कर दी है। इस प्रकार प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूर्णिय क्षति होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। अतः प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज फरमाया जावे।

12. प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, व दस्तावेजात का ध्यानपूर्नक अध्ययन किया गया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। जिससे प्रकरण में मुख्य तथ्य निम्न जाहिर होते है–
    1. वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 1445/189 रकबा 0.38 हेक्टे0 ग्राम चनाना प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है।
    2. उक्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पिता की कयशुदा भूमि है। पिता द्वारा जरिये दान पत्र भूमि की खातेदारी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज हुयी है। दान पत्र में वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी को 1/5 हिस्सा पश्चिम दिशा व अप्रार्थीगण को 4/5 हिस्सा पूर्व दिशा में देने का अंकन है।
    3. अप्रार्थीगण ने अपने 4/5 हिस्से का रजिस्टर्ड पारिवारिक बंटवारे दिनांक 05.09.2019 द्वारा आपस में विभाजन किया है।

अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय न्यायालय को देखना होता है कि क्या प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु बनते है अथवा नहीं ? प्रकरण में इन बिन्दुओं पर मेरा विवेचन निम्नानुसार है कि प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है जिसे विभाजन करवाने के अधिकार है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जिस दान पत्र के जरिये खातेदारी प्राप्त हुयी है में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य भूमियों की दिशाओं का उल्लेख किया गया है। इस दान पत्र दिनांक 02.06.2017 जो कि उप पंजीयक चिड़ावा से रजिस्टर्ड दान पत्र है एवं वादी स्वयं ने उसमें बतौर पक्षकार उपस्थित होकर निष्पादित किया गया है, अर्थात स्वयं ने वाद ग्रस्त भूमि में पश्चिमी दिशा में 1/5 हिस्सा होना स्वीकार किया है। प्रार्थी ने इस रजिस्टर्ड दान पत्र के विरुद्व या निरस्त करने जैसा कोई भी दस्तावेज अथवा साक्ष्य अपने प्रार्थना पत्र अथवा बहस में प्रस्तुत नही किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में भूमि दान पत्र से प्राप्त होने के तथ्य को भी छुपाया है। अतः प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। फलतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्तानुसार प्रार्थी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण साबित करने में असफल रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज कर निर्णित किया जाता है। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

29/01/2024

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
चिड़ावा